न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2023	11–01–2023	03.01.2024

1. औमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल जाति यादव, निवासी ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 30.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 144/2022

उपस्थितः–

01–श्री जगदीश प्रसाद यादव –वकील अपीलाण्ट

–निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम यादव नगर की सरकारी मंदिरमाफी भूमि खसरा नं0 1903 रकबा 0.65 है0 में से 0.7 है0 पर गैरसायल पर अवैध रूप से गैंहू काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण करने से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ग्राम यादव नगर की सरकारी मंदिरमाफी भूमि खसरा नं0 1903 रकबा 0.65 है0 में से 0.7 है0 पर गैरसायल पर औमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल द्वारा अवैध रूप से गैंहू काश्त कर अतिक्रमण मान अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.12.2022 को पटवारी द्वारा पेश करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान की कार्यवाही से एवं पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा सरकार मंदिर माफी की भूमि खसरा नं0 1903 के किसी भी रकबे पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1905 व 1906 सरकारी भूमि से लगती हुई है। अपीलान्ट स्वंय की आराजी पर काबिज है। मिन अपीलान्ट को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर दिया गया तो मिन अपीलान्ट को उसकी भारी नुकसान होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 30.12.2022 निरस्त फरमाया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1905 व 1906 सरकारी भूमि से लगती हुई है। अपीलान्ट स्वंय की आराजी पर काबिज है। मिन अपीलान्ट द्वारा सरकार मंदिर माफी की भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खसरा नं0 1903 के किसी भी रकबे पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य व सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पुनः सरकारी आराजी के मौके की जांच करे, यदि अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक **03.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)